अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

धापू वगैरह बनाम रामस्वरूप वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 195/2023 (दूदू)

विड्रो किये जाने से खारिज
27/7/23

	श्री दीपक पारिक एडवोकेट	
	धापू बनाम रामस्वरूप वगैरह(2023/195)	
14.06.2023	यह अपील विद्वान अभिभाषक श्री दीपक पारिक एडवोकेट द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन दिनांक 04.07.2023 को पेश हो।	
04.07.2023	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु समय चाहते है, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन दिनांक 27.07.2023 को पेश हो।	
27.07.2023	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 26.07.2023 को प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त उनवानी अपील को विड्रो किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील में कुछ आवश्यक तथ्यों का अंकन किये जाने से रह गया इसलिए उक्त अपील को विड्रो कर स्वतंत्रता के साथ नयी अपील पुनः प्रस्तुत करना चाहते है इसलिए उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो कर नयी अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान किया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुनः अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ उक्त अपील को विड्रो किये जाने के आदेश न्यायाहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विचाराधीन अपील को विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है तथा अपीलांट को पुनः नयी अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	